राज्य शासन के आदेश

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक 3366 /एफ–5–6/2016/तेरह : राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5088/एफ–2–3/13/98 दिनांक 17 जुलाई, 1998 को अधिष्ठित करते हुए, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप–धारा (1) के अधीन मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक, अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक, कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक को उनकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त करते हुए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30, विनियम 32, विनियम 36 तथा विनियम 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए परिशिष्ट–एक तथा परिशिष्ट–दो में विनिर्दिष्ट संस्थापनाओं के संबंध में उक्त विनियम अन्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकृत करती है –

परिशिष्ट–एक
विद्युत् निरीक्षक की शक्तियां

अ. क्र.	शक्तियां	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक
		सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	वृत्तीय क्षेत्र के अधीन	संभागीय क्षेत्र के अधीन
1.	650 वोल्ट तक की विद्युत् संस्थापनाएं (सिनेमा एवं जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां
2.	सिनेमा संस्थापनाएं	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियॉं	सम्पूर्ण शक्तियां (नई संस्थापना को छोड़कर)
3.	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि./ विद्युत् वितरण कंपनी लिमि. / वितरण कंपनी / फ्रेंचायजी की संस्थापनाएं	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापनाओं के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनायें एवं उससे जुड़ी लाईनें।

अ. क्र.	शक्तियां	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक
4.	उपभोक्ताओं की संस्थापनायें (जनरेटिंग स्टेशन छोड़कर)	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनायें एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।
5.	जनरेटिंग स्टेशन	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां – 100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के. व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं
6.	बहु–मंजिला इमारत	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा 11 के.व्ही से अधिक वोल्टेज से संसक्त बहु–मंजिला भवन जिसका विद्युत भार 5000 के.व्ही.ए. से अधिक हो ।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा 11 के.व्ही से अधिक वोल्टेज से संसक्त बहु मंजिला भवन जिसका विद्युत भार 500 के.व्ही.ए. से अधिक परन्तु 5000 के.व्ही.ए. तक हो।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां– 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा 11 के.व्ही से अधिक वोल्टेज से संसक्त बहु मंजिला भवन जिसका विद्युत भार 150 के.व्ही.ए. से अधिक परन्तु 500 के. व्ही.ए. तक हो।

शर्तें : (1) कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियां केवल उन कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक को निष्पादित की जाएंगी, जो विद्युत् यांत्रिकी में स्नातक अथवा उसके समकक्ष हो। किन्तु उस दशा में जबकि कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक विद्युत् यांत्रिकी में डिप्लोमा रखते हों तब शक्तियों का प्रयोग उनके नियंत्रण अधिकारी, अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक द्वारा किया जाएगा ।

(2) "ए" श्रेणी विद्युत् ठेकेदार को 33 केव्ही से अधिक तथा लिफ्ट तथा एक्सकेलेटर की नवीन संस्थापना के लिए लिखित अनुमोदन मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक से प्राप्त करना होगा।

(3) मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत् अधिनियम, 2003 एवं केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन शक्तियों एवं कृत्यों को ऐसे निरीक्षकों/अधिकारियों को सौंप सकेगा, जिन्हे वे उचित समझे।

(4) इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध का, जो मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 8560–2015–तेरह दिनांक 14.08.2015 के उपबंधों से असंगत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट–दो

निरीक्षण संबंधी कृत्य

अ. क्र.	निरीक्षण/परीक्षण संबंधी कार्य	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक	सहायक यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक	उप यंत्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपभोक्ता (सिनेमा एवं जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)	–	–	–	250 वोल्ट से अधिक 650 वोल्ट तक
2.	सिनेमा संस्थापनाएं	–	–	स्थायी सिनेमा	अस्थायी सिनेमा एवं अस्थायी कनेक्शन
3.	म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि./ म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि./म.प्र. विद्युत् वितरण कंपनी लिमि./ फ्रेंचायजी की संस्थापना	220 केव्ही से 400 केव्ही तक की संस्थापना तथा उससे जुड़ी लाईन /केबल	132 के.व्ही की संस्थापना तथा 33/11 के.व्ही की 5000 के.व्ही.ए. से अधिक के उपकेन्द्र एवं उससे जुडी लाईन/ केबल	5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईन केबल	500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईन/केबल
4.	उपभोक्ताओं की संस्थापनाएं (जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाइनें /केबल	1000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाइनें / केबल	250 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 1000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाइनें / केबल	250 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईन / केबल
5.	जनरेटिंग स्टेशन	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाइनें/ केबल	1000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाइनें / केबल	100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 1000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाइनें / केबल	–

अ. क्र.	निरीक्षण / परीक्षण संबंधी कार्य	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक	सहायक यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक	उप यंत्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	लिफ्ट / एक्सकेलेटर संस्थापना	–	1000 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापना में स्थापित	100 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 1000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापना में स्थापित	–
7.	बहु–मंजिला इमारत	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली और 11 केव्ही से अधिक वोल्टेज पर संसक्त बहु – मंजिला इमारत जिसका विद्युत भार 5000 के.व्ही.ए. से अधिक हो	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली और 11 केव्ही से अधिक वोल्टेज पर संसक्त बहु– मंजिला इमारत जिसका विद्युत भार 1000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक हो	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली और 11 केव्ही से अधिक वोल्टेज पर संसक्त बहु– मंजिला इमारत जिसका विद्युत भार 150 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 1000 के.व्ही.ए. तक हो	–
8.	दुर्घटना की जांच	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियॉं दी गई है	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियॉं दी गई है	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियॉं दी गई है	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियॉं दी गई है

शर्त : निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत् ठेकेदार द्वारा 33 केव्ही से अधिक की संस्थापना लिफ्ट/एक्सकेलेटर की संस्थापना के पूर्व मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक से लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।